..//..

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नूर मोहम्मद बनाम रमजी वगैरह
किस्म मुकदमा –223 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955
प्रकरण संख्या : 2024/234 (नसीराबाद)

रिमाण्ड
15/10/24

	श्री एस0के0 शर्मा/रामनाथ मेघवंशी	
10.10.2024	**नूर मोहम्मद बनाम रमजी वगैरह (2024/235)** यह अपील श्री रामनाथ मेघवंशी /एस0के0 शर्मा एडवोकेट एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 59/2024 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की है। अपील मियाद बाहर पेश की गई है, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जावें। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 15.10.2024 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
15.10.2024	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बावत कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रार्थी को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये आदेश दिनांक 12.07.2024 को पारित कर दिया। प्रार्थी को उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी उस समय हुई जब प्रार्थी अपने खेतों की हंकाई जुताई करने ट्रेक्टर लेकर खेत पर गया तो अप्रार्थी ने बताया कि उक्त भूमि पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तुम हंकाई जुताई नहीं कर सकते हो। तब प्रार्थी को उक्त आदेश की जानकारी हुई और उक्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु दिनांक 20.09.2024 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 23.09.2024 को प्राप्त हो गयी तत्पश्चात प्रार्थी अपने गावं गया और फिस आदि की व्यवस्था कर आज अजमेर आया और वकील साहब से सम्पर्क कर यह अपील तैयार करवाकर बिना किसी विलम्ब के आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। प्रार्थी गरीब काश्तकार व्यक्ति है इस कारण अपील पेश करने में जो विलम्ब हुआ है वह उपरोक्त सद्भाविक कारण होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपरोक्त उनवानी अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर करने का आदेश प्रदान करावें। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील को अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होते है तथा प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिन्दु पर नहीं किया जाकर मेरिट पर किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया	

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार.....

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नूर मोहम्मद बेनाम रमजी वगैरह

किस्म मुकदमा –223 राज.काश्तकारी अधिनियम–1955

प्रकरण संख्या : 2024/234 (नसीराबाद)

जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया। वाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के विरूद्ध उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। जो कि एक अन्तरिम आदेश है अन्तिम आदेश नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। यदि अन्तरिम आदेश दिनांक 12.07.2024 की पालना प्रभाव को स्थगित किया जाता है तो विवादित आराजी के खुर्द–बुर्द होने की संभावना बनी रहती है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 07.08.2024 को जवाब पेश किया जा चुका है। वर्तमान में प्रकरण में तहसीलदार भिनाय से मौका रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में अंतिम बहस होनी है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना हैं फिर भी हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/ सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner